थाना उझानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भवानीपुर की घटना में मुलव्विस/मफरुर अभियुक्त गजेन्द्र सिंह पुत्र धर्मसिंह को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूँ के कुशल निर्देशन में एंव पुलिस अधीक्षक नगर बदायूँ के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी उझानी बदायूँ के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनाँक 03.08.2021 को थाना उझानी पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 274/21 धारा 304/ 201 IPC से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गजेन्द्र सिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम भवानीपुर मजरा हजरतगंज थाना उझानी जनपद बदायूँ को गिरफ्तार किया गया।

घटना ग्राम भवानीपुर में धर्मसिंह पुत्र रोहनलाल तथा उसके दोनों लड़के गजेन्द्र सिंह व प्रभाशंकर उर्फ टीटू अपने खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए रात्रि में बिजली के करन्ट लगा दिये करते थे। इन तारों से करन्ट लगन के कारण

दिनाँक 30/31.05.2021 रात्रि में वीरेन्द्र उर्फ ओमवीर करन्ट लगने से मृत्यु हो गयी थी। मुल्जिमान ने वीरेन्द्र उर्फ ओमवीर के शव को पास में श्रीपाल के खेत में छुपा दिया था तथा बिजली के तार खेत से हटा दिये थे।उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 11.06.2021 को मु.अ.सं. 274/21 धारा 304/ 201 भादवि बनाम 1.धर्मसिंह पुत्र रोहनलाल , 2. गजेन्द्र सिंह 3. प्रभाकर उर्फ टीटू पुत्रगण धर्मसिंह निवासीगण ग्राम भवानीपुर मजरा हजरतगंज थाना उझानी जनपद बदायूँ पंजीकृत कराया गया तथा दिनाँक 15.06.2021 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मसिंह पुत्र रोहनलाल तथा दिनांक 07.07.2021 को प्रभाशंकर उर्फ टीटू पुत्र धर्मसिंह निवासीगण ग्राम भवानीपुर मजरा हजरतगंज थाना उझानी जनपद बदायूँ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त गजेन्द्र सिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम भवानीपुर मजरा हजरतगंज थाना उझानी जनपद बदायूँ को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

सोशल मीडिया सैल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद बदायूँ।